

1. लीलाराम पुत्र साधुराम जाति गुर्जर, निवासी धारीवास, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर।

—अपीलान्त

**बनाम**

1. घनश्याम वर्मा पुत्र रामचन्द्र वर्मा, जाति बलाई, निवासी उदयपुरिया तहसील चौमू जिला जयपुर।
2. रामदेव पुत्र श्री नोन्दाराम रैगर जाति रैगर निवासी रामचन्द्रपुरा तहसील संगानेर जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ़ जिला जयपुर।
4. सुण्डा पुत्र जोहरी जाति गुर्जर निवासी ग्राम धीरावास तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर।

—मुख्य रेस्पोजेन्ट्स

—तरतीबी रेस्पोजेन्ट

**उपस्थिति:—**

1. श्री आर.पी.शर्मा, एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से
2. श्री राजेश कुमार शर्मा एडवोकेट रेस्पोजेन्ट संख्या 1 की ओर से
2. श्री सचिन शर्मा एडवोकेट, रेस्पोजेन्ट संख्या 2 की ओर से

**निर्णय**

दिनांक: 29.11.2022

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.06.2022 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोजेन्ट संख्या 1 ने रेस्पोजेन्ट संख्या 2 से मिलीभगत कर प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी पेश किया जिसमें रेस्पोजेन्ट संख्या 1 ने पत्थरगढ़ी किये जाने वाले खसरा नम्बरान की चारों सीमाओं से लगते सहखातेदार/पड़ौसी खातेदारों को बिना पक्षकार बनाये ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष क्लीन हैण्ड से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.06.2022 प्रारम्भ से ही शून्य एवं न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने के कारण निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्त ने कथन किया है कि अपीलान्त व रेस्पोजेन्ट प्रार्थना पत्र अधीन भूमि के पड़ौसी खातेदार व सीवजोड़ खातेदार काश्तकार है उसके उपरान्त भी अपीलान्त को बिना पक्षकार बनाये ही एवं बिना साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त पत्थरगढ़ी की कार्यवाही केवल मात्र 5 दिवस में ही रेस्पोजेन्ट संख्या 1 के

कथनों के आधार पर ही उक्त अपीलान्तीन आदेश बिना अपना न्यायिक विवेक लगाये ही पारित किया गया है जो न्यायिक प्रक्रिया के उल्लंघन करते हुये पारित किया गया जो निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ती ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ती की बिना जानकारी के व बिना अपीलान्ती को सुनवाई का अवसर दिये व बिना मौके पर आये मौके की रिपोर्ट तैयार की गई है जो वैधानिक रूप से कोई कानूनी महत्वता नहीं रखती है इसलिये भी तथाकथित सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 13.06.2022 के आधार पर पत्थरगढी की कार्यवाही नहीं की जा सकती है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त कानूनी तथ्यों को नजरअन्दाज कर अपीलान्तीन निणय दिनांक 21.06.2022 पारित किया है जो निरस्तनीय है। उन्हाने आगे कथन किया है कि विधि का यह सुव्यवस्थित सिद्धान्त है कि यदि पूर्व में विवादित भूमि के सम्बन्ध कोई विवाद हो तो सर्वप्रथम उक्त वाद के निस्तारण तक किसी प्रकार का कोई निर्णय/आदेश पारित नहीं किया जा सकता है जबकि उक्त भूमि के सम्बन्ध में पूर्व से एक वाद न्यायालय सहायक कलक्टर जमवारामगढ जिला जयपुर के समक्ष बाबत घोषणा नक्शा दुरुस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का उनवानी लीलाराम व अन्य बनाम घनश्याम व अन्य विचाराधीन है। इसलिये भी अधीनस्थ न्यायालय का अपीलान्तीन आदेश दिनांक 21.06.2022 निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ती स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलान्तीन आदेश दिनांक 21.06.2022 को निरस्त किया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ती संख्या 1 ने कथन किया है कि प्रत्येक खातेदार काश्तकार अपनी फसलों को पशुओं से सुरक्षा एवं आराजी की सुरक्षा हेतु सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करवाने के कानूनन अधिकार प्रदत्त है तथा रेस्पोडेन्ती संख्या 1 की क्रयशुदा कृषि भूमि खसरा नम्बर 427 रकबा 1.7100 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 428 रकबा 1.2700 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 2.9800 हैक्टर ग्राम धीरावास पटवार हल्का धौला तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में स्थित है तथा रेस्पोडेन्ती संख्या 1 की उक्त वर्णित आराजीयात के लगवा रेस्पोडेन्ती संख्या 2 की खातेदारी भूमि स्थित है तथा उक्त रेस्पोडेन्ती 2 की खातेदारी भूमि के बीच में मुकमिल सीमा के पुख्ता निशानात नहीं है जिससे हमेशा सीमा बाबत विवाद रहता है तथा रेस्पोडेन्ती संख्या 1 द्वारा दिनांक 13.06.2022 को अपनी भूमि का सीमाज्ञान करवाया गया था जिसमें सीमाज्ञान हेतु गठित राजस्व टीम द्वारा वरवक्त सीमाज्ञान बताये गये सीमाचिन्हों को मानने से रेस्पोडेन्ती संख्या 2 ने कतई मना कर दिया जिससे वादकारण पैदा होकर उसके निरन्तर जारी होने से प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आवश्यक होने पर रेस्पोडेन्ती संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी प्रस्तुत किया गया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात् ही

(3)

अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.06.2022 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नहीं की गई है। अतः अपील अपीलान्त खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया जिससे जाहिर होता है कि अपीलार्थी एवं रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 की एक दुसरे के पडौसी खातेदार काश्तकार है उसके उपरान्त भी रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्त को पक्षकार नहीं बनाया गया है जिससे अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई का अवसर नहीं मिल पाया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरित होने से उसे उचित नहीं ठहराया जा सकता।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.06.2022 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला जयपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण का एक माह में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(अन्तरसिंह नेहरा)

संभागीय आयुक्त  
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त  
जयपुर।

29/11/22